संख्या–1260 /59–2–2010–21(खा)/2009

प्रेषक,

अशोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवामें,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग–2 लखनऊ: दिनांक–07/01/2011

विषय:– वित्तीय वर्ष 2010–11 में ग्रामोद्योग/प्रदर्शनियों का आयोजन योजना हेतु प्राविधानित धनराशि की अवशेष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय ,

उपर्युक्त विषयक खादी बोर्ड के पत्र संख्या 229/खा0ग्रा0बो/प्रचार–प्रदर्शनी/2010–11, दिनांक 29.10.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में ग्रामोद्योग प्रदर्शनियों का आयोजन हेतु आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रुपये 50,00,000.00 (रुपये पचास लाख मात्र) में से द्वितीय छः माह के लिए पचास प्रतिशत की अवशेष धनराशि रुपये 25,00,000/–(रुपये पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग के निर्वतन पर रखने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

उप कु ग्रा उ/प्रचार
11-01-11
मु.ग्रा.उ.

1– उक्त प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010, दिनांक 26 मार्च, 2010 में शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर 369 एच के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही व्यय की गयी धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0–13 में वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–6 को उपलब्ध कराया जाय।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि का महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद या उनके मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जाँच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्टोलर एण्ड आडिटर जनरल या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए उपलब्ध रहेगा।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

4- निदेशक द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन के वित्त विभाग एवं प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध हो जाये।

उक्त धनराशि से होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनागत-105-खादी ग्रामोद्योग-07-ग्रामोद्योग प्रदर्शनियों का आयोजन-42-अन्य व्यय" के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामे डाला जायेगा।

5- ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई0-6-610/दस-2010, दिनांक 29.12.2010 में प्राप्त उनकी सहमति से वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

/

(अशोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 1260 (1)/59-2-2010-तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
6- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, संगम पैलेस, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8- एन0आई0सी0।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अशोक चन्द्र)
संयुक्त सचिव।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com